

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/02-(तीन)/2015/5273  
दिनांक: 08.12.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,  
कुमार परमार्थ बाबा गोविन्द महाविद्यालय,  
कल्यानपुर, मऊ।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-11.09.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट/पी-एच0डी0 सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	श्री सुशील कुमार मौर्या	श्री नन्दकिशोर मौर्या	06.04.1983	एम0 ए0, नेट दिसम्बर 2012	भूगोल
2	डॉ0 सत्येन्द्र सिंह	.. लालचन्द्र सिंह	15.07.1980	एम0 ए0, पी-एच0डी0 2014	भूगोल
3	श्री प्रीतम	.. खेमचन्द्र	10.06.1983	एम0 ए0, नेट दिसम्बर 2012	भूगोल
4	कु0 दीपा	.. नरेश चन्द्र	03.01.1985	एम0एस0सी0, नेट दिसम्बर 2011	गृहविज्ञान
5	.. तृप्ती	.. देवेन्द्र सिंह	15.07.1987	एम0एस0सी0, नेट जून 2013	गृहविज्ञान
6	डॉ0 पूजा त्यागी	.. धर्मदेव त्यागी	25.02.1984	एम0एस0सी0, पी-एच0डी0 2012	गृहविज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। सन्दर्भित प्रवक्ताओं का भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रबन्धक  
कुमार परमार्थ बाबा गोविन्द महाविद्यालय  
कल्यानपुर मऊ